ÖSEL®

Date: 03.09.2026

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

Symbol: OSELDEVICE

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of an advertisement made by the Company after completion of dispatch i.e. sending of emails of Notice of the ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled on September 02, 2026. The Company published the advertisement in the following newspapers: -

1. Financial Express (All editions) in English Language on 03.09.2026.
2. Jansatta (Delhi edition) in Hindi Language on 03.09.2026.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You,
For **OSEL DEVICES LIMITED**

Diksha
Digitally signed by Diksha
Date: 2026.09.03 12:12:30 +05'30'

Diksha
Company Secretary and Compliance Officer
M.no: A72889

Encl: Newspaper cuttings

INVESTMENT COMES AS DIGITAL INFRA DEMAND RISES

Canada's La Caisse invests ₹12,100 cr for 24% in Altius Telecom

FE BUREAU
Mumbai, September 2

LA CAISSE, THE global investment group formerly known as Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ), has invested around ₹12,100 crore (CAD 1.76 billion, or about $1.3 billion) to acquire a 24% stake in Altius Telecom Infrastructure Trust, India's largest independent telecom tower platform, alongside Brookfield.

The transaction has been completed, with Brookfield continuing as Altius' largest investor alongside La Caisse and existing shareholders affiliated with GIC and British Columbia Investment Management Corporation (BCI).

The investment comes as rising mobile data consumption and the continued rollout of 5G drive demand for telecom and digital infrastructure in India, the world's second-largest telecommunications market.

"As India's economy grows and more people and businesses rely on higher use of mobile data, the infrastructure behind those connections needs to keep pace," Emmanuel Jaclot, executive vice-president and head of infrastructure and sustainability at La Caisse, said.

La Caisse, Canada's second-largest pension manager, has experience investing in telecom towers and digital infrastructure globally.

Jaclot said the investment was being made alongside Brookfield and other institutional partners with which it has longstanding relationships. Sam Pollock, CEO of Brookfield's Infrastructure group, said Altius had built a scaled, nationwide platform that was well positioned to cater to India's growing mobile connectivity and 5G requirements. "La Caisse's investment brings another long-term institutional partner to the platform and reflects confidence in the strength of the business," Pollock said.

Altius owns and operates more than 258,000 telecom towers and sites across India, providing infrastructure used by mobile operators to deliver 4G and 5G services. Its portfolio includes ground-based towers, rooftop towers, camouflage towers and cell-on-wheels.

BIG BET

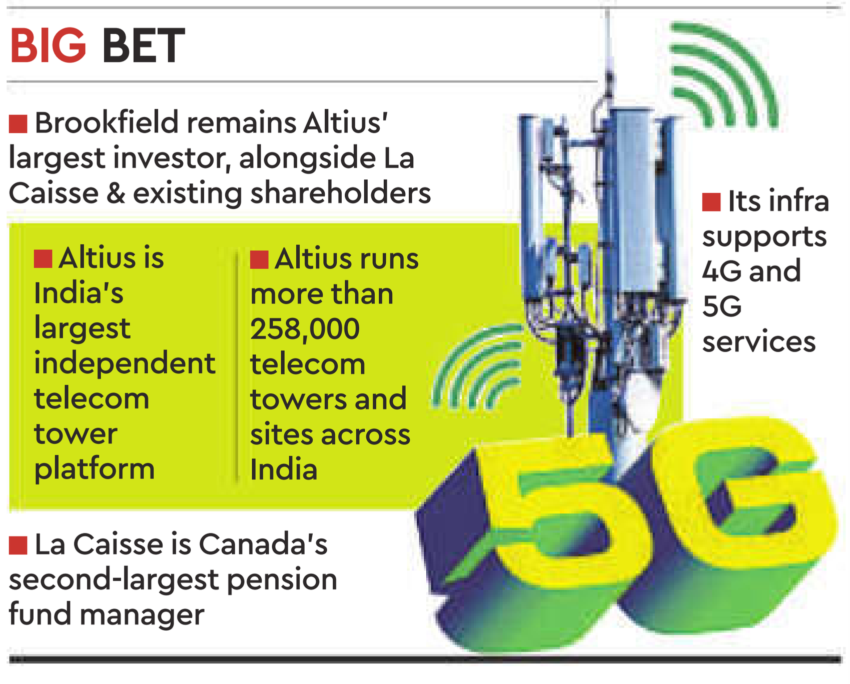

AI Express pilots seek 70-hour allowance

AKBAR MERCHANT
Mumbai, September 2

AIR INDIA EXPRESS pilots are seeking a minimum flying allowance of 70 hours under the airline's revised pay structure, even as the carrier has raised pilot salaries by 10-15% on average across cadres, according to airline sources.

The revised structure, announced a couple of weeks ago, includes a variable component linked to flying hours. Pilots currently receive a minimum flying allowance equivalent to 40 hours, regardless of whether they fly 40 hours or fewer in a month. They are now seeking to raise the guaranteed minimum to 70 hours, in line with IndiGo's structure.

The minimum flying allowance at Air India Express was 70 hours before the Covid-19 pandemic. It was subsequently reduced to 20 hours as flight operations remained subdued and was later rationalised to the current 40-hour level. As per airline sources, pilots have welcomed the salary increase but are seeking a higher guaranteed flying-hours component. The airline, however, believes its higher base salaries make overall compensation comparable with IndiGo, where the fixed base salary is relatively lower.

Auto industry calls for shift from 'Make in India' to tech ownership

NITIN KUMAR
New Delhi, September 2

SHAILESH CHANDRA, MD, TATA MOTORS PV

We should not aspire merely to manufacture globally developed technologies in India. We should increasingly aspire to develop technologies in India for the world

HISASHI TAKEUCHI, MD & CEO, MARUTI SUZUKI INDIA

Deeper localisation would have to extend beyond large automakers and Tier-1 suppliers to Tier-2 and Tier-3 vendors, with greater focus on engineering, quality and productivity

TARUN GARG, MD & CEO, HYUNDAI MOTOR INDIA

India's imports are increasingly skewed towards advanced and higher-value technologies. Technology ownership is essential for strategic independence

THE AUTOMOTIVE INDUSTRY wants localisation to move beyond manufacturing and import substitution to the design, development and ownership of technologies that will power the next generation of vehicles, as India seeks to emerge as a global automotive manufacturing and technology hub.

The call, made at the 66th annual session of the Automotive Component Manufacturers Association of India (Acma), comes as automobiles undergo a technology shift towards electrification, software-defined vehicles, advanced electronics and connected systems. Industry leaders said India has built manufacturing scale and a deep supplier base, but needs to capture a larger share of the value created by the technologies going into vehicles.

Maruti Suzuki India Managing Director and CEO Hisashi Takeuchi said deeper localisation would also have to extend beyond large automakers and Tier-1 suppliers to Tier-2 and Tier-3 vendors, with greater focus on engineering, quality and productivity. "Unless our Tier-2 and Tier-3 suppliers are capable, we can't produce world-class quality," Takeuchi said.

The industry's ambition is, therefore, shifting from making products developed elsewhere to developing technologies in India that can be used and exported globally. Society of Indian Automobile Manufacturers (Siam) President Shailesh Chandra said India should increasingly seek to become a technology creator rather than merely a manufacturing base for global technologies. "We should not aspire merely to manufacture globally developed technologies in India. We should increasingly aspire to develop technologies in India for the world," Chandra, who is also MD of Tata Motors Passenger Vehicles and Tata Passenger Electric Mobility, said.

The changing architecture of vehicles is making semiconductors, power electronics, batteries, electric motors, sensors, software and connected systems increasingly important. "We should follow a simple principle: design in India, develop in India, manufacture in India and export from India," Chandra said.

The gap between India's manufacturing capabilities and technology ownership is visible in component trade. Hyundai Motor India managing director and CEO Tarun Garg said India imported auto components worth around $25.4 billion in FY26, against exports of about $24 billion, resulting in a trade deficit of roughly $1.4 billion. More importantly, he said, exports remain concentrated in relatively mature technologies, while imports are increasingly skewed towards advanced and higher-value tech. "Technology ownership is essential for strategic independence," Garg said, calling for greater domestic capabilities in semiconductors, rare-earth magnets, power electronics and battery cells.

Acma President Vikrampati Singhania said the next phase of the Make-in-India programme should focus on building intellectual property and technology capabilities within India.

Two-wheeler market sustains growth

AKBAR MERCHANT
Mumbai, September 2

THE TWO-WHEELER market maintained its growth momentum in August, with most major manufacturers reporting higher domestic sales, led by strong performances from TVS Motor, Royal Enfield, Suzuki Motorcycle India and Hero MotoCorp.

Hero MotoCorp, the country's largest two-wheeler maker by volumes, reported a 4.5% increase in domestic sales to 542,305 units in August, from 519,139 units a year earlier.

Honda Motorcycle & Scooter India's domestic dispatches rose 8% to 517,329 units from 481,021 units in August 2025. The company attributed the growth to sustained demand across commuter motorcycles and scooters, supported by models such as the Activa range, Shine, SP125 and Unicorn.

TVS Motor Company reported an 18% increase in domestic two-wheeler sales to 433,796 units from 368,862 units a year earlier. The domestic market accounted for about 73% of the company's total two-wheeler sales during the month. Electric two-wheelers continued to significantly outperform the broader market. TVS sold 59,453 electric two-wheelers in August, up 137% from 25,138 units a year earlier, as adoption of electric mobility expanded across urban and semi-urban markets. Bajaj Auto reported domestic two-wheeler sales of 201,898 units in August.

Royal Enfield's domestic sales rose 11% year-on-year to 114,204 units from 102,876 units a year earlier. The growth came on a high base, with August 2025 having been a record month for the company at the time, surpassing its previous monthly high of 110,574 units recorded in October 2024. The Chennai-based manufacturer has sustained its domestic growth into the current financial year. On a year-to-date basis, domestic volumes rose 28% to 520,695 units. Suzuki Motorcycle India reported a 13% rise in domestic sales to 103,118 units in August from 91,629 units a year earlier.

The company's spare-parts business also posted its highest-ever August revenue at ₹103.3 crore, up 21% from ₹85.56 crore in August 2025.

IN THE FAST LANE

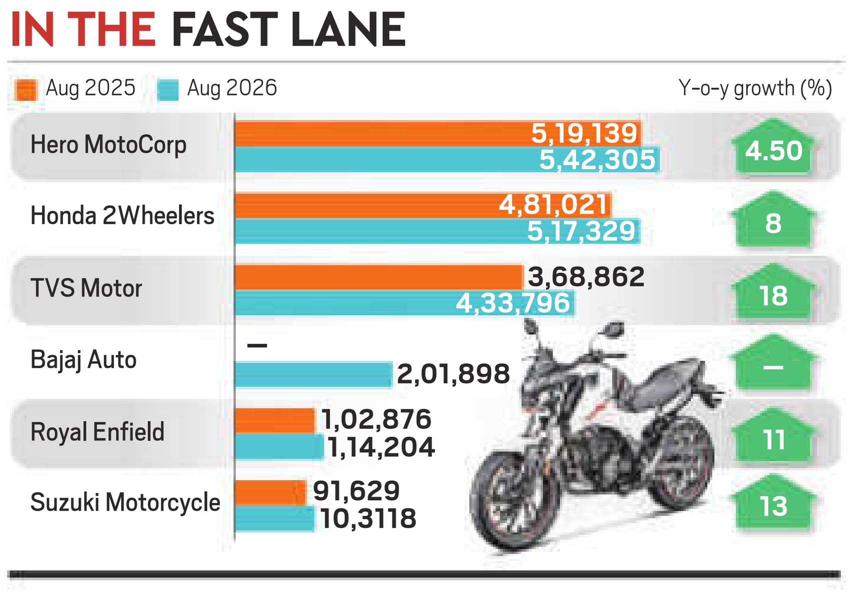

Dealer profitability key Fada priority

AKBAR MERCHANT
Mumbai, September 2

DEALER PROFITABILITY WILL be a key priority for the Federation of Automobile Dealers Associations (Fada) as the auto market enters a phase of broad-based growth, with the industry body also planning to pitch dedicated automobile retail zones across major metros to the government.

Sai Giridhar, president, Fada, said higher volumes are supporting dealer margins, but profitability remains uneven across brands. "Without a profitable dealer, I don't think anything would work," he said, adding that Fada will work with original equipment manufacturers (OEMs) to improve dealer profitability across segments.

Giridhar said Fada plans to work with OEMs and state and central governments to develop dedicated automobile retail zones, primarily on government land on the outskirts of major cities. The proposed clusters would bring together showrooms, workshops, training academies and ancillary units, along with facilities such as solar power and water harvesting.

The proposal will be submitted to the government and could also help address the industry's growing manpower and skill requirements through training and upskilling programmes, he said. The transition to electric vehicles (EVs), meanwhile, will require an adjustment in dealership economics, particularly as after-sales revenue from EVs is lower than that from internal-combustion engine (ICE) vehicles.

CSK's worst IPL finish hits FY26 profit of promoter

FE BUREAU
Chennai, September 2

FOR CHENNAI SUPER Kings, the disappointment of its worst-ever IPL finish in 2025 did not end with the team's exit from the T20 league. The poor performance on the cricket field has now shown up in the books of its promoter, Chennai Super Kings Cricket (CSKCL), with a sharp fall in central rights income dragging down both revenue and profitability in FY26.

CSKCL's standalone revenue fell marginally to ₹636 crore from ₹644 crore in the previous year, according to its annual report. The decline was primarily due to a steep reduction in central rights income, which fell to ₹38 crore in FY26 from ₹468 crore in FY25. "The reduction in central rights income is due to the standing of the team at the tenth position in IPL 2025 as against the fifth position in IPL 2024," CSKCL said.

Central rights income is the share of revenue a franchise receives from the IPL's centrally negotiated broadcasting and digital media rights. Consequently, profit after tax fell to ₹162 crore from ₹181 crore in FY25. Despite the sharp fall in rights income, revenue from operations increased to ₹622 crore from ₹615 crore. The company said the decline in central rights income was more than offset by higher sponsorship income and other tournament-related income. Other income declined to ₹14 crore from ₹29 crore, primarily due to a decrease in interest income.

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

(CIN: L99999DL1984PLC019052)

पंजीकृत कार्यालय: 216, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट संख्या 2, सामुदायिक केंद्र, रोड संख्या 44 के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034
वेबसाइट: www.agarwalduplex.net; **ई-मेल आईडी:** agarwalduplex1984@gmail.com **दूरभाष:** +91 11 47527700, **फैक्स:** +91 11 47527777

वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक बंद करने और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 तथा SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में कंपनी के शेयरधारकों की 42वें वार्षिक आम बैठक **बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को सुबह 11.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनियों को सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है ताकि नोटिस में उल्लिखित कार्य निष्पादित किए जा सकें। नोटिस पहले ही शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से ईमेल के माध्यम से भेजा जा चुका है, यदि उनका ईमेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाला वेब-लिंक, जिसमें सटीक पथ दिया गया है, प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 42वें वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.agarwalduplex.net/notices, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ईमेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने का कार्य 02 सितंबर, 2026 को पूरा हो गया है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना कारोबार चला सकती है। ई-वोटिंग सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग की अवधि 27 सितंबर, 2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितंबर, 2026 होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संबंधी निर्देशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं।

जो व्यक्ति नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और जो कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 23 सितंबर, 2026 तक पात्र शेयरधारक हैं, वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए श्री पुनीत मित्तल से (011-29961281) या beetalrta@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

29 सितंबर, 2026 को शाम 5 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में वीसी सुविधा के माध्यम से उपस्थित वे लोग, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं करने वाले सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दी गई है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, आप बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री पुनीत मित्तल से beetalrta@gmail.com, टेलीफोन नंबर 011 29961281 पर संपर्क कर सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं या www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 42वें वार्षिक आम बैठक के लिए गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(नीरज गोयल)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00017498

दिनांक: 03.09.2026
स्थान: दिल्ली

आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : L26942DL1991PLC043776
पंजीकृत कार्यालय : 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 91–7428281980, ई–मेल आईडी : rcccementslimited@gmail.com, वेबसाइट : www.rcccements.com

35 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई–वोटिंग और बुक कलोजर की जानकारी

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि एजीएम आयोजित करने के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को लेनदेन करने के लिए आरसीसी सीमेंट्स लिमिटेड ('कंपनी') की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय **702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001** में भौतिक मोड में आयोजित होने वाली है।

एजीएम आयोजित करने के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई–वोटिंग के निदेशों के साथ, उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') और/या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ बुधवार, 02 सितंबर, 2026 तक पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.rcccements.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन सदस्यों के ई–मेल पते कंपनी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या डिपॉजिटरी ('डीपी') के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर एक पत्र कूरियर के माध्यम से अलग से, उसी पूर्वोक्त तारीख को भेजा गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए वेब–लिंक और पाथ शामिल है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 ('अधिनियम') के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 31 अगस्त, 2026 की एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी व्यवसायों के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई–वोटिंग का विवरण

मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि	गुरुवार, 24 सितम्बर, 2026
रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत	रविवार, 27 सितम्बर, 2026 सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई–वोटिंग वेबसाइट	www.evoting.nsdl.com

उपरोक्त कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखने वाले सदस्य www.evoting.nsdl.com में रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं, और एजीएम में भी भाग ले सकते हैं और बैलट फॉर्म के माध्यम से, जैसा भी लागू हो, मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और एजीएम दोनों में मतदान करता है, तो मोटे तौर पर रिमोट ई–वोटिंग में डाला गया वोट प्रबल होगा, और एजीएम में डाले गए वोट को अमान्य माना जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में दिए गए ई–वोटिंग निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा the e-Voting Manual का संदर्भ ले सकते हैं, या evoting@nsdl.co.in को लिख सकते हैं। सदस्य ई–मेल पते और संबंधित मामलों के पंजीकरण या अपडेट के लिए कंपनी के आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, या अपने संबंधित डिपॉजिटरी से भी संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in को लिखकर अपेक्षित यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

आगे पुनः नोटिस दिया जाता है कि, अधिनियम की धारा 91 के तहत निर्मित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के प्रयोजन के लिए गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

प्रमोटर शेयरधारकों सहित शेयरधारकों से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है:

➤ **पैन, केवाईसी, नामांकन, बैंक विवरण और ई–मेल आईडी प्रस्तुत करना/अपडेट करना**

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023, सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 07 मई, 2024 और सेबी मास्टर परिपत्र संख्या HO/38/13/(4)2026-MIRSD- POD/l/4298/2026 दिनांक 06 फरवरी, 2026 के अनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ अपने पैन, ई–मेल पते, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और बैंक खाते के विवरण को प्रस्तुत/अपडेट करना आवश्यक है। नामांकन वैकल्पिक है; हालांकि, शेयरधारकों को अपने हित में नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके पैन, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते के विवरण उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ विधिवत अपडेट किए गए हैं।

प्रमोटर शेयरधारकों सहित भौतिक शेयरधारक, जिन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ निर्धारित पैन और केवाईसी विवरण को धूल/अपडेट नहीं किया है, वे सेबी द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन होंगे और कंपनी के आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि अपेक्षित विवरण प्रस्तुत/अपडेट नहीं किए जाते हैं।

तदनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने वैध पैन और केवाईसी विवरण, सेबी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में, कंपनी के आरटीए को प्रस्तुत करें। आवश्यक फॉर्म आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com और कंपनी की वेबसाइट www.rccce-ments.com पर उपलब्ध हैं।

भौतिक शेयरधारक www.masserv.com/downloads.asp पर आरटीए की वेबसाइट से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के अपडेशन के लिए निर्धारित फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

विधिवत भरे हुए भौतिक फॉर्म निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं:
एमएएस सर्विसेज लिमिटेड
टी–34,दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–क्क् नई दिल्ली –110020
फोनः 011–26387281–82–83,41320335, वेबसाइटः www.masserv.com | ई–मेलः investor@masserv.com

➤ **प्रवर्तक शेयरधारकों सहित शेयरधारकों द्वारा धारित भौतिक शेयरधारिता का डीमैटीरियलाइजेशन**

सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 08 जून, 2018 और सेबी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27 मार्च, 2019 के अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है, ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें लागू कानूनों के तहत अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी एलओडीआर विनियम') के विनियम 40(1)(ए) के अनुसार, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के साथ डीमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 31(2) के अनुसार, कंपनी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रमोटरों और प्रवर्तक समूह की 100% शेयरधारिता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर डीमैटरियलाइज्ड रूप में रखी जाए।

तदनुसार, प्रमोटरों और प्रमोटर समूह सहित सभी शेयरधारकों, जिनके पास भौतिक रूप में प्रतिभूतियां हैं, को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों के डीमैटीरियलाइजेशन के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और लागू विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

➤ **भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटीरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो**

भौतिक प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारक सेबी परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 पर ध्यान दें, जिसके तहत सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन के लिए एक विशेष विंडो खोली है। यह विशेष विंडो 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है, और इसमें पहले सबमिट किए गए ट्रांसफर अनुरोध भी शामिल हैं जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस में कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था या अप्राप्य छोड़ दिया गया था। इस विशेष विंडो के अनुसार हस्तांतरित प्रतिभूतियों को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में हस्तांतरित किया जाएगा, जो सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है।

इस परिपत्र के तहत पात्र शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर इस विशेष विंडो का लाभ उठाएं।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, शेयरधारक कंपनी के आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को investor@masserv.com पर या rcccementslimited@gmail.com पर कंपनी को लिख सकते हैं।

आरसीसी सीमेंट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
संदीप सिंह
कंपनी सेक्रेटरी

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 02 सितंबर, 2026

पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank

शाखा कार्यालय – कवि नगर, गाजियाबाद (394700)
ई–मेलः bo3947@pnb.bank.in

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002 के नियम 8(1) के तहत]
(अचल संपत्ति के लिए)

जैसाकि,
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 29–05–2026 को मांग सूचना जारी कर ऋणधारको श्री बलजोर सिंह अहलावत, पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह और श्री संयोग अहलावत, पुत्र श्री बलजोर सिंह अहलावत को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि **रु. 46,70,753.15 (रुपये छियालीस लाख सत्तर हजार सात सौ तिरपन और पंद्रह पैसे मात्र)** तथा 30.04.2026 से भविष्य का ब्याज और उस पर होने वाले आकस्मिक खर्चों वापस लौटने का निर्देश दिया थो
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31अगस्त,2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है
विशेष रूप से ऋणधारकों/बंधककर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय **रु. 46,70,753.15 (रुपये छियालीस लाख सत्तर हजार सात सौ तिरपन और पंद्रह पैसे मात्र)** तथा 30.04.2026 से भविष्य का ब्याज और उस पर होने वाले आकस्मिक खर्चों, वसूली गई राशि को घटाकर, के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगो
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

अचल संपत्ति का विवरण

श्री बलजोर सिंह अहलावत के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति मकान नं. एसजी–137, जी–ब्लॉक, जीडीए द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी जिसे शास्त्री नगर, तहसील व जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, का न्यायसंगत बंधक, जिसका क्षेत्रफल 91.65 वर्ग मी. या 109.60 वर्ग गज है, जो उप–निबंधक–V, गाजियाबाद में दस्तावेज सं. 6115 और मुसकाना सं. 6116, पुस्तक सं. 1, खंड सं. 129, पृष्ठ 5–10 दिनांक 26.12.2001 के रूप में विधिवत पंजीकृत है और जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं: पूर्वः मकान नं. एसजी–151 और एसजी–152, पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः मकान नं. जी–136, दक्षिणः जी–138	स्वामित्वः श्री बलजोर सिंह अहलावत, पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह (बंधककर्ता) पता– मकान नं. एसजी–137, जी–ब्लॉक, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002

दिनांक:31.08.2026
स्थानः गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक

अकीको ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन संख्याः L74999DL2018PLC335272
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, कार्यालय संख्या–8/4–डी, विश्वदीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
संपर्क संख्याः +91 98188 73651, ईमेलः accounting@akiko.co.in
वेबसाइटः www.themoneyfair.com

8वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना दूरस्थ ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अकीको ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, सितंबर 25, 2026 को दोपहर 12:30 बजे भा.मा.स. वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों(वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, समय–समय पर जारी सामान्य परिपत्रों के साथ पठित, क्रमशः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, 8वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।
2. कंपनी के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 तक कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.themoneyfair.com** पर भी उपलब्ध होगी और वहां से डाउनलोड की जा सकती है।
3. सदस्यों द्वारा मत डालने की सुविधा ("ई–वोटिंग") एनएसडीएल ('नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड') द्वारा प्रदान की जाएगी और इसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को 09:00 बजे भा.मा.स. से गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को 05: 00 बजे भा.मा.स. तक शुरू होती है। इस अवधि के दौरान, शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा या एजीएम के समय ई–वोटिंग द्वारा अपना मत डाल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा।
4. वे सदस्य, जो भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य(सदस्यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति भेजकर, जिसमें उनका नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के पास धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख हो, साथ ही पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की हुई प्रति और निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, जैसा कि कंपनी के पास पंजीकृत है, की स्व–सत्यापित स्कैन की हुई प्रति, वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 के साथ एजीएम नोटिस ईमेल द्वारा प्राप्त करने हेतु **accounting@akiko.co-in** पर यथाशीघ्र अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई–मेल पता अपडेट कर सकते हैं। एजीएम की सूचना में उन निर्देशों का उल्लेख है जिनके अनुसार शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।
5. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 19 सितंबर, 2026 से शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
6. लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को नियत समय में भेजी जाएगी।

अकीको ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/–
प्रियंका दत्ता
प्रबंध निदेशक
डीनः 08475220

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 02–09–2026

ÖSEL
ओएसईएल डिवाइसेस लिमिटेड

CIN: L72200DL2006PLC152027
पंजीकृत कार्यालयः 1209 और 1210, 12वीं मंज़िल, बी ब्लॉक, नौरंग हाउस, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली–110001, भारत
टेलीफोनः +91 120 635 1600; **वेबसाइटः** www.oseldevices.com; **ईमेलः** info@oseldevices.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओएसईएल डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 एवं 09/2025 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023, 19 सितंबर, 2024 और 22 सितंबर, 2025 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/ सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय के लेनदेन करने के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक की सूचना, व्याख्यात्मक विवरण और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस का ईमेल भेजने की समाप्ति की तिथि **02 सितंबर, 2026** है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिए कंपनी की वेबसाइट https://oseldevices.com/ पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने हेतु कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। **डीमैट होल्डिंगः** कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ संशोधित और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting@nsdl.co.in के माध्यम से सभी व्यवसाय के लेनदेन के लिए ई–वोटिंग की सुविधा की पेशकश की है रिमोट ई–वोटिंग अवधि **मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)** से शुरू होती है और **गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)** पर समाप्त होती है। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026** तक शेयर रखता है, www.evoting@nsdl.co.in पर या RTA, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को investor@masserv.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। मेसर्स आर.के.करन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के मालिक, कार्यरत कंपनी सचिव श्री रमन कुमार करन (सदस्यता संख्या एफसीएस 78437 और सीपी संख्या 28697) को ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में निहित है। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत अधोहस्ताक्षरी को cs@oseldevices.com पर या RTA को investor@masserv.com (फोन 011–26387281–83) पर संबोधित की जा सकती है।

कृते ओएसईएल डिवाइसेज लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/–
मुकेश कुमार सिन्हा
पूर्णकालिक निदेशक

दिनांकः 02 सितम्बर, 2026
स्थानः नोएडा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

सेक्टर-31 शाखा, एससीओ-45, हुडा मार्केट, सेक्टर-31, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
ईमेलः sectog@bankofbaroda.bank.in

उधारकर्ता को सूचना [सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत]

प्रति, **दिनांकः** 03.08.2026
1. श्री सर्वदेव दुबे पुत्र श्री विश्वनाथ दुबे
फ्लैट नं. 906, टावर– 5, सिग्नेचर प्रॉक्सिमा 2 सेक्टर–89, गुरुग्राम, हरियाणा
महोदय/महोदया
विषयः हमारी सेक्टर 31, गुरुग्राम शाखा के साथ क्रेडिट सुविधाएं।

1. हम अपने पत्र संख्या Retail-00003799720-LMS दिनांक 23.12..2025 का संदर्भ देते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तों से अवगत कराया गया था।
उपरोक्त स्वीकृति के अनुसरण में आपने उक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए प्रतिभूति प्रदान करने के पश्चात उन्हें प्राप्त किया और उनका उपयोग शुरू कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। विभिन्न ऋण/क्रेडिट सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं:

सुविधा की प्रकृति और प्रकार	सीमा	ब्याज दर	03.08.2026 को बकाया (02.08.2026 तक के ब्याज सहित)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण सहित सुरक्षा समझौता
टर्म लोन	रु. 9.00 लाख	लागू ब्याज दर 8.25% सालाना है, जो आरबीआई रेपो रेट (5.25%), मार्क–अप (2.65%), स्ट्रैटेजिक प्रीमियम (0.25%), क्रेडिट स्प्रेड (0.05%) और रिस्क प्रीमियम (0.05% – अभी के हिसाब से) का कुल योग है।	रु. 8,79,323.00/– प्लस अप्राप्त ब्याज रु. 15474.39/– प्लस 08.08.2026 से अप्रयुक्त ब्याज और अन्य अप्राप्त शुल्क, यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर	वाहन "Maruti Brezza VXI CNG " का हाइपोथिकेशन पंजीकरण संख्या – HR26GA5463 चेसिस संख्या – MA3RYHK1SSM715512 इंजन संख्या.– K15CNK067659

2. दिनांक 23.12..2025 के ऋण समझौते में, आपने बैंक के प्रति रु. 9,00,000/– (केवल नौ लाख रुपये) की देयता स्वीकार की है।
3. जैसा कि आप जानते हैं, आपने सावधि ऋण/मांग ऋण की उन किस्तों के भुगतान में चूक की है, जो 10.05.2026 और उसके बाद भुगतान के लिए देय हुई हैं।
4. आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार आपके ऋण खाते को 08.08.2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने बकाया ऋणों, जिनमें उन पर देय ब्याज भी शामिल है, का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
5. पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत सुरक्षित क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में आपकी देनदारियों को पूरा करने में आपकी असमर्थता तथा आपके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए, हम आपको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा नोटिस देते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान एवं निर्वहन करें, जो कुल रु. 8,79,323.00/– प्लस रु. 15474.39/– की अप्राप्त ब्याज राशि प्लस 08.08.2026 से लागू न किया गया ब्याज तथा अन्य अप्राप्त शुल्क, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर, जैसा कि ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित है, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर। हम आपको आगे नोटिस देते हैं कि उपर्युक्त राशि का भुगतान भुगतान की तारीख तक के ब्याज सहित न किए जाने पर, हमें उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी, कृपया इसका ध्यान रखें।
6. कृपया ध्यान दें कि, प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए पूर्ण भुगतान होने तक उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज अर्जित होता रहेगा।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 13 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आपको उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से, हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, प्रतिबंधित किया गया है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) में निहित उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
8. हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आप सुरक्षित परिसंपत्तियों को, बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित बकाया राशि का भुगतान करके, सार्वजनिक नीलामी/कोटेशन आमंत्रित करने/निविदा/निजी समझौते के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय, विमोचित करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त नोटिस के प्रकाशन के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों को विमोचित कराने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं रहेगा।
9. कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस हमारे किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और इसे ऐसे किसी अधिकार या उपचार के परित्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमें देय राशियों के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार भी शामिल है।

भवदीय,
अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

सेक्टर–31 शाखा, एससीओ–45, हुडा मार्केट, सेक्टर–31, गुरुग्राम–122001, हरियाणा ईमेलः sectog@bankofbaroda.bank.in

उधारकर्ता को सूचना [सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत]

प्रति, **दिनांकः** 03.08.2026
1. **सुश्री कंचन पुत्री श्री सुरेंद्र**
फ्लैट नं. 307, टावर–8, सिग्नेचर ग्लोबल मिलेनिया 2 सेक्टर–37 सी, गुरुग्राम, हरियाणा
महोदय/महोदया
विषयः हमारी सेक्टर 31, गुरुग्राम शाखा के साथ क्रेडिट सुविधाएं।

1. हम अपने पत्र संख्या **Retail-00003670166-LMS** दिनांक 18.10.2025 का संदर्भ देते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति और स्वीकृति की शर्तों से अवगत कराया गया था। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसरण में आपने उक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए प्रतिभूति प्रदान करने के पश्चात उन्हें प्राप्त किया और उनका उपयोग शुरू कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। विभिन्न ऋण/क्रेडिट सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं:

सुविधा की प्रकृति और प्रकार	सीमा	ब्याज दर	03.08.2026 को बकाया (02.08.2026 तक के ब्याज सहित)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण सहित सुरक्षा समझौता
टर्म लोन	रु. 10.00 लाख	लागू ब्याज दर 8.25% सालाना है, जो आरबीआई रेपो रेट (5.25%), मार्क–अप (2.65%), स्ट्रैटेजिक प्रीमियम (0.25%), क्रेडिट स्प्रेड (0.05%) और रिस्क प्रीमियम (0.05% – अभी के हिसाब से) का कुल योग है।	रु. 9,42,665/– प्लस अप्राप्त ब्याज रु. 19,473/– प्लस 02.08.2026 से अप्रयुक्त ब्याज और अन्य अप्राप्त शुल्क, यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर	वाहन "**Maruti Brezza VXI CNG 1-5L 5 MT BS6** का हाइपोथिकेशन पंजीकरण संख्या – **HR26FY9391** चेसिस संख्या – **MA3RYHK1SSH664312** इंजन संख्या.– **K15CNK019955**

2. दिनांक 18.10.2025 के ऋण समझौते में, आपने बैंक के प्रति रु. 10,00,000/– (केवल दस लाख रुपये) की देयता स्वीकार की है।
3. जैसा कि आप जानते हैं, आपने सावधि ऋण/मांग ऋण की उन किस्तों के भुगतान में चूक की है, जो 04.05.2026 और उसके बाद भुगतान के लिए देय हुई हैं।
4. आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार आपके ऋण खाते को 02.08.2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने बकाया ऋणों, जिनमें उन पर देय ब्याज भी शामिल है, का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
5. पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत सुरक्षित क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में आपकी देनदारियों को पूरा करने में आपकी असमर्थता तथा आपके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए, हम आपको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा नोटिस देते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान एवं निर्वहन करें, जो कुल रु. 9,42,665/– प्लस रु. 19,473/– की अप्राप्त ब्याज राशि प्लस 02.08.2026 से लागू न किया गया ब्याज तथा अन्य अप्राप्त शुल्क, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर, जैसा कि ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित है, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर। हम आपको आगे नोटिस देते हैं कि उपर्युक्त राशि का भुगतान भुगतान की तारीख तक के ब्याज सहित न किए जाने पर, हमें उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी, कृपया इसका ध्यान रखें।
6. कृपया ध्यान दें कि, प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए पूर्ण भुगतान होने तक उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज अर्जित होता रहेगा।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 13 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आपको उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से, हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, प्रतिबंधित किया गया है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) में निहित उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
8. हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आप सुरक्षित परिसंपत्तियों को, बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित बकाया राशि का भुगतान करके, सार्वजनिक नीलामी/कोटेशन आमंत्रित करने/निविदाधनिजी समझौते के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय, विमोचित करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त नोटिस के प्रकाशन के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों को विमोचित कराने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं रहेगा।
9. कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस हमारे किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और इसे ऐसे किसी अधिकार या उपचार के परित्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, हमें देय राशियों के संबंध में आगे की मांग करने का अधिकार भी शामिल है।

भवदीय,
अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

राठी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 24/1–ए, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड विहार, नई दिल्ली–110044,
CIN - L27109DL1971PLC005905 वेबः www.rathisteelandpower.com,
ई–मेलः investors@rathisteelandpower.com दूरभाषः 011- 45058011

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') और ई–वोटिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली 55वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोपहर 1:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में, 08 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 तथा इस संबंध में जारी किए गए तत्पश्चात के परिपत्रों, जिनमें नवीनतम 22 सितंबर, 2025 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी की एजीएम बुलाने के लिए भेजी जा रही एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, 55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी / उसके निर्गम एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता अर्थात् मैसर्स सर्विसेज लिमिटेड ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिभागीगण (डीपी) अथवा डिपॉजिटरी के पास 28 अगस्त, 2026 तक पंजीकृत हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होंगे:
(ए) कंपनी – **www.rathisteelandpower.com,** (बी) बीएसई लिमिटेड – **www.bseindia.com,** (सी) एनएसडीएल **www.evoting.nsdl.com.** एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एक वेब–लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिनके ई–मेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, ताकि वे वित्त वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच सकें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 (जिसमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं जो समय–समय पर लागू हैं) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस–2") के साथ पढ़ा जाए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे।

1. **ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः**
इलेक्ट्रॉनिक मोड में एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ और भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में आरटीए के पास, टी–34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – ।।, नई दिल्ली – 110020, पर फॉर्म ISR-1 जमा करके अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करें, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.rathisteelandpower.com पर देखा जा सकता है।
2. **ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका'**
कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में निर्धारित और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले ही डाल दिया है, वे एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने/शामिल होने के हकदार हैं, लेकिन वे एजीएम में फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ वर्चुअल एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं, इसका तरीका एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा।

कृते राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/–
महेश पारीक
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00174146

स्थान : दिल्ली
दिनांकः 01.09.2026